IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

अक्तूबर ०५, २०१८

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051

Dear Sir,

Postal Ballot Notice

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Postal Ballot Notice being issued to the Members of the Bank for passing special resolutions in connection with

(a) Preferential Issue of Capital to LIC aggregating upto 51% of Post Issue Paid up Capital of the Bank;

(b) Increase in Authorized Capital of the Bank from ₹ 8000 crore to ₹ 15000 crore;

(c) Re-classification of LIC as Promoter of the Bank consequent upon acquisition of 51% Controlling stake by them in IDBI Bank; and

(d) Alterations in Articles of Association of the Bank

Kindly acknowledge receipt and take the above intimation on record.

भवदीय,
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

5/10/18

[पवन अग्रवाल]
कंपनी सचिव

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400 005
फोन-(022) 66552779/3062
ईमेल - idbiequity@idbi.co.in,
वेबसाइट-www.idbi.com

डाक मतपत्र सूचना

प्रिय सदस्य(यो),

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसरण में नीचे मद संख्या 1, 2 और 4 के अंतर्गत प्रस्तुत संकल्पों को विशेष संकल्प के रूप में तथा मद संख्या 3 के अंतर्गत प्रस्तुत संकल्प को डाक मतपत्र द्वारा सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने का प्रस्ताव है:

विशेष कारोबार

मद सं.1 एलआईसी को इक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42, 62 (1) (ग) तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 तथा अन्य लागू विधि(यों), यदि कोई हों के अनुसरण में तथा इस संबंध में अपेक्षित होने पर सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों के अनुमोदन, यदि कोई हों, की शर्त के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले निबंधनों, शर्तों एवं आशोधनों के अधीन बैंक के शेयरधारकों द्वारा बैंक के निदेशक मंडल को भारतीय जीवन बीमा निगम **("एलआईसी")** को अधिमानी आबंटन आधार पर 08 अक्तूबर 2018 की संगत तारीख के संदर्भ में गणना किए गए मूल्य पर रु. 10/- प्रत्येक के इतनी संख्या में इक्विटी शेयर सृजित करने, पेशकश करने, निर्गमन करने और आबंटित करने हेतु कि एलआईसी की शेयरधारिता आबंटन के पश्चात् बैंक की बढ़ी हुई चुकता पूंजी (प्रीमियम राशि सहित, यदि लागू हो) में 51% तक हो जाए और सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार अधिमानी आबंटन के अंतर्गत उक्त निर्गमित पूंजी की राशि को बैंक की वर्तमान चुकता शेयर

IDBI BANK LIMITED
CIN L65190MH2004GOI148838
Regd. Office - IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai- 400 005,
Phone-(022) 66552779/3062
e-mail :idbiequity@idbi.co.in,
website-www.idbi.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Resolutions appended below under Items No.1, 2 and 4 are proposed to be passed as Special Resolutions and the Resolution appended under Item No. 3 is proposed to be passed as Ordinary Resolution, each by way of Postal Ballot:-

Special Business

Item No.1: Preferential Issue of Equity Shares to LIC

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT, pursuant to Sections 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank, SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and other applicable law(s), if any and subject to approval of statutory/regulatory bodies, if any, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, the consent of Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to create, offer, issue and allot such number of equity shares of ₹10/- each, at a price to be calculated with reference to the Relevant Date of October 08, 2018 to Life Insurance Corporation of India ("**LIC**") such that the shareholding of LIC post allotment aggregates upto 51% of Bank's expanded Paid-up Capital (inclusive of premium amount, if any) on preferential allotment basis, in terms of the provisions of Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the amount of said capital issued under the Preferential Allotment, to

पूंजी में जोड़ने के लिए सहमति दी जाए और एतद् द्वारा यह सहमति दी जाती है".

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीज़ें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के एमडी एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

<u>मद सं.2 : बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि</u>

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13, 14 तथा 61 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा विधियों, यदि कोई हो, के लागू प्रावधानों के अनुसरण में बैंक की प्राधिकृत पूंजी को रु.8000 करोड़ (प्रत्येक रु.10/- के 800 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभक्त) से बढ़ाकर रु.15000 करोड़ (प्रत्येक रु.10/- के 1500 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभक्त) करने तथा उसके परिणामस्वरूप इसमें नीचे उल्लेखित आईडीबीआई बैंक लि. के संस्था के बहिर्नियम के खंड V तथा संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 3 में होने वाले संशोधनों के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतद् द्वारा यह सहमति प्रदान की जाती है:

संस्था के बहिर्नियम का संशोधित खंड V

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु.15000,00,00,000/- (पंद्रह हजार करोड़ रुपये मात्र) होगी जो प्रत्येक रु.10/- मूल्य के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी.

संस्था के अंतर्नियम का संशोधित खंड 3

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु.15000,00,00,000/- (पंद्रह हजार करोड़ रुपये मात्र) होगी जो प्रत्येक रु.10/- मूल्य के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को इस बारे में अपने अधिकारों को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अन्य अधिकारी(रियों) को प्रत्यायोजित करने के साथ-साथ ऐसे कार्य, कृत्य या अन्य चीजें करने या करवाने, जैसाकि इस बारे में जरूरी या प्रासंगिक समझा जाए, के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

be added to the existing paid-up share capital of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

<u>Item No.2: Increase in Authorized Share Capital of the Bank.</u>

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Special Resolution :

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 13, 14 and 61 of the Companies Act, 2013 read with Article 6 of the Articles of Association and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 or other laws, if any, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the increase in the Authorised Share Capital of the Bank from ₹ 8000 crore (divided into 800 crore equity shares of ₹10/- each) to ₹ 15000 crore (divided into 1500 crore equity shares of ₹10/- each) and to the consequential amendments as stated hereunder to Clause V of the Memorandum of Association and Article 3 of the Articles of Association of IDBI Bank Ltd.:

Amended Clause V of the Memorandum of Association

The authorised share capital of the company shall be ₹ 15000,00,00,000/- (Rupees Fifteen Thousand Crore Only) divided into 1500,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each.

Amended Clause 3 of the Articles of Association

The authorised share capital of the Company shall be ₹ 15000,00,00,000 (Rupees Fifteen Thousand Crore Only) divided into 1500,00,00,000 equity shares of ₹ 10/- each."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

मद सं.3 : बैंक के प्रवर्तक के रूप में एलआईसी का पुनर्वर्गीकरण

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

"**संकल्प किया जाता है कि** एलआईसी द्वारा बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी के कुल 51% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण (अर्थात् नियंत्रण) पूरा कर लेने की तारीख से आईडीबीआई बैंक के "प्रवर्तक" के रूप में एलआईसी को पुनर्वर्गीकृत करने के लिए शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतद् द्वारा सहमति प्रदान की जाती है."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल को इस बारे में अपने अधिकारों को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के साथ-साथ ऐसे कार्य, कृत्य या अन्य चीजें करने या करवाने, जैसा कि इस बारे में जरूरी या प्रासंगिक समझा जाए के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

मद सं.4 : बैंक के संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तन.

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 14 के प्रावधानों, यदि कोई हों, और संगत अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों और अन्य लागू होने वाले कानून(नों), यदि कोई हों, के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक सहित सांविधिक/ विनियामकीय प्राधिकरणों, इस संबंध में अपेक्षित जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हों, की शर्तों पर तथा उसमें ऐसे निबंधनों, शर्तों और संशोधनों, जो उनके द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं, की शर्तों पर एलआईसी द्वारा बैंक की कुल चुकता पूंजी के कुल 51% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण (अर्थात् नियंत्रण) पूरा कर लेने की तारीख से आईडीबीआई बैंक के संस्था के अंतर्नियम में निम्नानुसार परिवर्तनों के लिए शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए तथा एतद् द्वारा सहमति प्रदान की जाती है"

संशोधित अनुच्छेद

- अनुच्छेद 2 (1) (क)

  "भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा एलआईसी" - से तात्पर्य भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन गठित भारतीय जीवन बीमा निगम है.

- **अनुच्छेद 4** : हटा दिया जाए

Item no. 3. Re-classification of LIC as Promoter of the Bank

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to re-classification of LIC as the "Promoter" of IDBI Bank, with effect from the date of completion of acquisition of equity shares aggregating to 51% of the total paid-up capital of the Bank (i.e. control) by LIC."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

Item No.4: Alterations in Articles of Association of the Bank.

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other applicable provisions, if any, of the Relevant Acts, Rules and Regulations, and other applicable law(s), if any, and subject to approval of statutory/regulatory bodies including RBI, if any, as may be required in this regard and subject to/ in accordance with such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to alteration of Articles of Association of IDBI Bank as follows, with effect from the date of completion of acquisition of equity shares aggregating to 51% of the total paid-up capital of the Bank (i.e. control) by LIC:

Amended Articles

- Article 2(1)(a)

  "Life Insurance Corporation of India or LIC" – means Life Insurance Corporation of India constituted under the Life Insurance Corporation Act, 1956

- **Article 4**: be deleted

- अनुच्छेद 8 :
  कंपनी समय-समय पर विशेष संकल्प द्वारा केंद्र सरकार की पुष्टि के अधीन तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 एवं 66 के प्रावधानों की शर्तों के अधीन विधि द्वारा प्राधिकृत किसी रीति में अपने शेयरों अथवा किसी शेयर प्रीमियम खाते में कमी कर सकती है और विशेष रूप से ऐसी पूंजी की इस आधार पर चुकौती कर सकती है कि उसे पुनः मांगा जा सकता है अथवा अन्य विधि अपनायी जा सकती है.

- **अनुच्छेद 87** :
  भारतीय जीवन बीमा निगम के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 30 सदस्य साधारण बैठक के लिए कोरम होंगे और बैठक कि कार्रवाई शुरू होने के समय आवश्यक कोरम की उपस्थिति के बिना किसी भी साधारण बैठक में कोई कार्यवाही संपन्न नहीं की जाएगी.

- **अनुच्छेद 100 (ख)**
  तत्समय प्रभावी विधि के अनुसार विनिर्दिष्ट रीति में कार्यवृत्त अलग-अलग पन्नों के बाइंडर के रूप में बहियों में रखे जाएँ

- **अनुच्छेद 114 (क)** :
  निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी अथवा उपर्युक्त सीमा और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी द्वारा समय-समय पर साधारण बैठक में निर्धारित किए अनुसार होगी

- **अनुच्छेद 116 :**
  निदेशक मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे :

  (i) एलआईसी के अध्यक्ष आईडीबीआई बैंक लि. के पदेन गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे.

  (ii) एलआईसी द्वारा नामित एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.

  (iii) एलआईसी द्वारा नामित दो पूर्णकालिक उप प्रबंध निदेशक.

  (iv) एलआईसी के एक आधिकारिक नामिती निदेशक

  (v) भारत सरकार के दो नामिती निदेशक

  (vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149 (4) के संदर्भ में शेयरधारकों की महासभा में लगातार 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए किन्तु विशेष संकल्प के द्वारा अधिकतम 4 वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति की पात्रता के साथ बोर्ड में अधिकतम 8 वर्ष की अवधि के अधीन नियुक्त 7 गैर आवर्तनीय स्वतंत्र निदेशक.

- Article 8:
  The Company may, from time to time, by Special Resolution, subject to confirmation by the Central Government and subject to the provisions of sections 52 & 66 of the Companies Act, 2013, reduce its shares or any share premium account in any manner for the time being authorised by law and in particular pay off such capital on the footing that it may be called up again or otherwise.

- **Article 87:**
  30 members personally present, including a duly authorized representative of Life Insurance Corporation of India shall be a quorum for General Meeting and no business shall be transacted at any General Meeting unless the requisite quorum be present at the commencement of the business

- **Article 100(b)**
  The minutes may be maintained in the books in the form of the binder containing loose leaves in the manner prescribed by law for time being in force

- **Article 114(a):**
  The number of Directors shall not be less than three and more than fifteen or such other number as may be determined from time to time by the Company in General meeting in accordance with the aforesaid limit and provisions of the Act

- **Article 116:**
  The Board of Directors shall consist of :

  (i) Chairman of LIC will be an ex-officio Non Executive Non Whole time Chairman of IDBI Bank Ltd.

  (ii) One whole time Managing Director & CEO nominated by LIC

  (iii) Two whole time Deputy Managing Directors nominated by LIC

  (iv) One Official Nominee Director of LIC

  (v) Two Nominee Directors of GoI

  (vi) 7 Non Rotational Independent Directors appointed by shareholders in General Meeting in terms of Sec 149(4) read with Schedule IV of the Companies Act, 2013 for an initial term of 4 consecutive years but shall be eligible for re-appointment on passing of special resolution for not more than one more term of 4 years, subject to maximum term of 8 years on the Board

(vii) उपर्युक्त क्रम सं. (iii) से (v) तक के पाँच निदेशक, 14 निदेशकों (7 स्वतंत्र निदेशकों को घटाकर) की कुल संख्या के लगभग 2/3 होंगे तथा ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के प्रावधानों के अनुसार एजीएम में आवर्तन आधार पर निवृत्ति के अधीन होंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे.

(viii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) (ख) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए.

- **अनुच्छेद 116 अ:** हटा दिया जाए

- **अनुच्छेद 117:**
  प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशक एलआईसी द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किए अनुसार अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित कर सकेंगे तथा प्रकार नियुक्त कोई भी व्यक्ति पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जोकि कंपनी अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम या इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत विनियामक अनुमोदन के तहत होगी.

- **अनुच्छेद 118:**
  इन अनुच्छेदों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, एलआईसी को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशकों, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यकाल को किसी भी समय उनकी अवधि समाप्त होने से पहले कम से कम तीन महीने के लिखित नोटिस अथवा ऐसे नोटिस के स्थान पर तीन महीने के वेतन और भत्ते प्रदान कर समाप्त करने का अधिकार होगा; तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशक, जैसी भी स्थिति हो को भी विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय एलआईसी को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देने के बाद अपने पद को छोड़ देने का अधिकार होगा, जोकि कंपनी अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम या इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत आवश्यक विनियामक अनुमोदन के तहत होगा.

- **अनुच्छेद 119:**
  प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशक बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा संस्तुत तथा अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम के अनुसार एलआईसी द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे, जोकि कंपनी अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम या इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत विनियामक अनुमोदन के अधीन होगें.

(vii) Five Directors at SI. No (iii) to (v) above being nearest to 2/3rd of the total strength of 14 Directors (minus 7 independent directors) shall be subject to retirement by rotation at the AGM in terms of the provisions of Section 152(6) of the Companies Act, 2013 and shall be eligible for re-appointment.

(viii) As per the provisions of Section 149(1)(b) of the Companies Act, 2013, at least one Independent Woman Director should be there on the Board of Directors.

- **Article 116A:**be deleted

- **Article 117:**
  The Managing Director & CEO and the whole-time directors shall hold office for such term not exceeding five years as the LIC may specify in this behalf and any person so appointed shall be eligible for re-appointment, subject to such regulatory approval as may be required under Companies Act, Banking Regulation Act or any other act in force

- **Article 118:**
  Notwithstanding anything contained in these Articles, LIC shall have the right to terminate the term of office of the Managing Director & CEO and the whole time directors, as the case may be, at any time before the expiry of the term by giving him notice of not less than three months in writing or three months' salary and allowances in lieu of such notice; and the Managing Director & CEO or the whole-time directors, as the case may be, shall also have the right to relinquish his office at any time before the expiry of the term specified by giving to the LIC notice of not less than three months in writing, subject to such regulatory approval as may be required under Companies Act, Banking Regulation Act or any other act in force

- **Article 119:**
  The Managing Director & CEO and the whole-time directors shall receive such salary and allowances as may be recommended by the Nomination & Remuneration Committee of the Board and as determined by LIC in accordance with the Act and the Banking Act, subject to such regulatory approval as may be required under Companies Act, Banking Regulation Act or any other act in force

- **अनुच्छेद 121:**

(क) नामित निदेशक अपना कार्यालय तब तक धारित करेंगे जब तक कि उन्हें नामित करने वाली संस्था/प्राधिकारी उन्हें रखना चाहे.

(ख) प्रत्येक नामित निदेशक उन्हें नामित करने वाली संस्था/प्राधिकारी द्वारा नामांकन के समय विनिर्दिष्ट की गई अवधि के लिए किन्तु अधिकतम चार वर्ष के लिए पद धारित करेंगे तथा वे पुन:नामांकन के पात्र होंगे. बशर्ते कि ऐसे कोई निदेशक लगातार आठ साल से अधिक की अवधि के लिए यह पद धारित नहीं करेंगे;

- **अनुच्छेद 122:** हटा दिया जाए.

- **अनुच्छेद 127:**

  बोर्ड या समिति की किसी बैठक में भाग लेने के लिए निदेशक को देय बैठक शुल्क का निर्धारण समय-समय पर बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा इसकी अधिकतम सीमा कंपनी अधिनियम, बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949 द्वारा निर्धारित किए अनुसार होगी.

- **अनुच्छेद 141(क):**

  कंपनी सामान्य संकल्प द्वारा किसी निदेशक (एलआईसी द्वारा नियुक्त निदेशक को नहीं) उनके कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पहले हटा सकती है;

- **अनुच्छेद 154(1):**
  बैंककारी अधिनियम की धारा 35 बी के प्रावधानों और अन्य आवश्यक अनुमोदनों के अधीन, भारतीय जीवन बीमा निगम किसी एक निदेशक को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बनने के लिए नामित करेगा और बैंक उन्हें नियुक्त करेगा तथा उन्हें कंपनी के समस्त मामलों का प्रबंधन सौंपा जाएगा तथा वे आवर्तन द्वारा निवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे. यहां यह शर्त है कि प्रबंध निदेशक एवं सीईओ निदेशक मंडल के अधिवीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे.
- **अनुच्छेद 154(2):**
  बैंककारी अधिनियम की धारा 35बी के प्रावधानों और अन्य आवश्यक अनुमोदनों के अधीन, भारतीय जीवन बीमा निगम दो उप प्रबंध निदेशकों को नामित करेगा, जो कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के अधिवीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन ऐसे अधिकारों व प्राधिकारों का उपयोग करेंगे व कार्य करेंगे जो उन्हें बोर्ड अथवा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएंगे.

- **अनुच्छेद 154(3):** हटा दिया जाए.

- **Article 121:**
  (a)A nominated director shall hold office during the pleasure of the entity/authority nominating him.
  (b) every nominated director shall hold office for such term not exceeding four years as the nominating entity/authority may specify at the time of his nomination and shall be eligible for re-nomination. Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding eight years;

- **Article 122:** be deleted.

- **Article 127:**
  The sitting fees payable to a Director for attending a meeting of the Board or Committee thereof shall be decided by the Board from time to time within the maximum limits of such fees that may be prescribed by the Companies Act, the Banking Regulation Act, 1949

- **Article 141(a):**
  The Company may by Ordinary Resolution remove a Director (not being a Director appointed by LIC), before the expiry of his period of office;

- **Article 154(1):**
  Subject to the provisions of Section 35B of the Banking Act and other necessary approval(s), Life Insurance Corporation of India shall nominate one of the Directors to be the Managing Director & CEO and Bank shall appoint and he shall be entrusted with the management of the whole of the affairs of the Company, who shall not be liable to retire by rotation.
  Provided that the Managing Director & CEO shall exercise his powers subject to the superintendence, control and direction of the Board of Directors.

- **Article 154(2):**
  Subject to the provisions of Section 35B of the Banking Act and other necessary approval(s), Life Insurance Corporation of India shall nominate two Deputy Managing Directors who shall, subject to the supervision, direction and control of the Managing Director and CEO of the Company and subject to the provisions of these Articles, exercise such powers and authorities and discharge such functions as may be delegated to them by the Board or the Managing Director and CEO

- **Article 154(3):** be deleted

- **अनुच्छेद 155:**
  पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के निधन होने या त्यागपत्र देने या रुग्णावस्था के कारण अथवा अन्य किसी कारण अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाने पर अथवा उनके छुट्टी के कारण अनुपस्थित रहने अथवा अन्यथा, ऐसी परिस्थिति जिसमें पद रिक्ति शामिल न हो निर्मित होने पर एलआईसी, यदि आवश्यक हुआ तो, नियामक एजेंसियों के अनुमोदन पर अधिकतम चार माह की अवधि के लिए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा.
- **अनुच्छेद 158:**
  कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम कुल संख्या के एक तिहाई (उस एक-तिहाई में निहित किसी भी अंश को पूर्णांकित किया जाएगा) अथवा दो निदेशकों, जो भी अधिक हों, से पूरा होगा; बशर्ते कम से कम एक निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नामित हों. तथापि किसी बैठक में, हितबद्ध निदेशकों की संख्या कुल संख्या के दो-तिहाई से अधिक या बराबर होने पर, शेष निदेशकों की संख्या अर्थात् गैर-हितबद्ध निदेशकों की संख्या 2 से कम नहीं होनी चाहिए, तभी कोरम पूरा होगा.

- **अनुच्छेद 161(1):** हटा दिया जाए.

- **अनुच्छेद 203 :**
  इन अनुच्छेदों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भारतीय जीवन बीमा निगम के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी प्रस्ताव बोर्ड या सदस्यों द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के इस संबंध में सकारात्मक वोट के बिना पारित नहीं किया जाएगा. इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला संकल्प ऐसा संकल्प होगा, जिस पर भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड द्वारा विचार किया गया हो.

- **अनुच्छेद 204(1) :**
  इन अनुच्छेदों में कुछ भी निहित होते हुए भी, कंपनी के बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जो एक तिमाही कार्यनिष्पादन रिपोर्ट भारतीय जीवन बीमा निगम की समीक्षा के लिए तैयार करेगी. यह रिपोर्ट भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित मानदंडों पर आधारित होगी तथा इसमें ऐसी सभी प्रासंगिक सूचनाएं शामिल होंगी जिनसे भारतीय जीवन बीमा निगम को कंपनी के कार्यनिष्पादन का वस्तुनिष्ठ रूप से आकलन करने में सहायता मिले.

- **अनुच्छेद 204(2):**
  इन अनुच्छेदों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी के व्यवसाय के

- **Article 155:**
  Where a person appointed as Managing Director & CEO on whole-time basis, dies or resigns or is by infirmity or otherwise rendered incapable of carrying out his duties or is absent on leave or otherwise, in circumstances not involving the vacation of his office, LIC shall, with the approval of the Regulatory Agencies, if required, make suitable arrangements for carrying out the duties of Managing Director & CEO for a total period not exceeding four months.

- **Article 158:**
  The quorum for a meeting of the Board of Directors of the Company shall be one-third of total strength (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or two Directors, whichever is higher; subject to atleast one director being a nominee of the Life Insurance Corporation of India. Provided that whereat any meeting, the number of interested Directors exceeds or is equal to two-thirds of the total strength, the number of the remaining Directors, that is to say, the number of the Directors, who are not interested, present at the meeting being not less than two, shall be the quorum during such time.

- **Article 161(1):** be deleted

- **Article 203:**
  Notwithstanding anything contained in these Articles, no resolution adversely affecting the interests of the Life Insurance Corporation of India shall be passed either by the Board or by the Members without an affirmative vote of Life Insurance Corporation of India. For the purposes of this provision, a resolution adversely affecting the interests of the Life Insurance Corporation of India shall be such resolution, which is so considered by the board of the Life Insurance Corporation of India.

- **Article 204(1):**
  Notwithstanding anything contained in these Articles, the Board of the Company shall constitute a committee, which shall prepare a quarterly performance report for review of the Life Insurance Corporation of India. This report shall be based on such parameters as may be prescribed by the Life Insurance Corporation of India and shall contain all relevant information to enable the Life Insurance Corporation of India to objectively assess performance of the Company.

- **Article 204(2):**
  Notwithstanding anything contained in these Articles, the Life Insurance Corporation of India shall be entitled to requisition such further

कार्यनिष्पादन से संबंधित ऐसी अन्य रिपोर्ट(रिपोर्टों) और / या सूचना (ओं) और / या दस्तावेज(जों) को मांगने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे. भारतीय जीवन बीमा निगम उक्त रिपोर्ट(रिपोर्टों) और / या सूचना (ओं) और / या दस्तावेज(जों) को गोपनीय रूप में अपने पास रखेगा तथा कानून द्वारा अपेक्षित किए जाने वाले मामलों को छोड़कर इनका किसी को भी प्रकटन नहीं किया जाएगा.

- **अनुच्छेद 204(3):**
  भारतीय जीवन बीमा निगम उपर्युक्त तिमाही कार्यनिष्पादन रिपोर्ट, सूचना व दस्तावेज़ की समीक्षा के आधार पर निदेशक मंडल को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा जो वह कंपनी में अपने निवेश के सर्वोत्तम हित तथा कंपनी के सर्वोत्तम हित में समझे. उपर्युक्त सिफ़ारिशों का कार्यान्वयन निदेशक मंडल के लिए बाध्यकारी रहेगा.

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीज़ें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के एमडी एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, **(पवन अग्रवाल)**
मुंबई- 400005. **कंपनी सचिव**
दिनांक : 4 अक्तूबर 2018

report(s) and/or information(s)and/or document(s) concerning performance of the Company's business, as it may deem fit and proper. The Life Insurance Corporation shall preserve the said report(s)/information(s)/ document(s) as confidential and the same shall not be disclosed to any one except where required by law.

- **Article 204(3):**
  The Life Insurance Corporation of India based on its review of the aforesaid quarterly performance report, information, document may make such recommendation(s) to the Board as it considers to be in the best interests of its investment into the Company and in the best interests of the Company. The Board shall be obliged to implement the aforesaid recommendations

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, **(Pawan Agrawal)**
Mumbai - 400 005 **Company Secretary**
Dated: October 04, 2018

टिप्पणियां :

- डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.
- यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके नाम 28 सितंबर 2018 को नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ प्राप्त लाभार्थी स्वामियों की सूची में उपलब्ध हैं. डाक मतपत्र के साथ नोटिस भेजने का कार्य 08 अक्तूबर 2018 को पूरा हो जाएगा.
- जिन सदस्यों ने कंपनी कार्य मंत्रालय की हरित पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता रजिस्टर करवाया है, उन्हें ईमेल द्वारा डाक मतपत्र की सूचना भेजी जा रही है और अन्य सदस्यों को डाक मतपत्र फॉर्म के साथ डाक/कूरियर द्वारा सूचना भेजी जा रही है.
- कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 एवं नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट कारोबार की मदों को डाक मतपत्र द्वारा पारित किया जाना है.
- जो सदस्य अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रूप से देना चाहते हैं, उनके लिए बैंक कार्वी की रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है.
- बैंक ने डाक द्वारा मतदान प्रक्रिया को सही एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सुश्री अपर्णा गाडगिल और उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सेक्रेटरीज़ के किसी अन्य पार्टनर को संवीक्षक नियुक्त किया है.
- **सदस्य वोटिंग के लिए सिर्फ एक तरीके अर्थात् या तो भौतिक मतपत्र द्वारा या ई-वोटिंग का चुनाव कर सकते हैं. यदि सदस्य दोनों तरीकों से मतदान करते हैं तो ई-वोटिंग के जरिए किया गया मतदान अभिभावी होगा तथा भौतिक डाक मतपत्र के जरिए दिया गया वोट अवैध माना जाएगा.**
- भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि संलग्न डाक मतपत्र फॉर्म में छपे हुए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. विधिवत रूप से भरे हुए डाक मतपत्र फॉर्म 07 नवंबर 2018 को शाम 5 बजे तक संवीक्षक के पास पहुँच जाने चाहिए. यदि कोई भी डाक मतपत्र फॉर्म उपर्युक्त समय और तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उसे सदस्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, के रूप में माना जाएगा.
- डाक मतपत्र के परिणाम की घोषणा 09 नवंबर 2018 को या उससे पहले की जाएगी तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली,

NOTES:

- Explanatory Statements pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the business specified in the Postal Ballot Notice are annexed hereto.
- The Notice is being sent to all Members, whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on September 28, 2018. The dispatch of notice along with Postal Ballot Form will be completed on October 08, 2018.
- Members who have registered their email ids for receipt of the documents in electronic mode under the Green Initiative of Ministry of Corporate Affairs, are being sent the Notice of Postal Ballot by email and others are being sent by post/courier along with the Postal Ballot Form.
- In terms of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), the Items of Business set out in the Postal Ballot Notice are sought to be passed by Postal Ballot.
- The Bank is providing Karvy's remote e-voting facility to enable those Members to vote who wish to cast their votes electronically.
- The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil and in her absence any other Partner of M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.
- **Members can opt only one mode of voting, i.e., either by physical ballot or e-voting. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical postal ballot form will be treated as invalid.**
- Members desiring to exercise vote by physical postal ballot are requested to carefully read the instructions printed on the attached Postal Ballot Form. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. on November 07, 2018. Any Postal Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Member has not been received.
- The result of the Postal Ballot shall be declared on or before November 09, 2018 and displayed on the Bank's website at www.idbi.com and shall also be displayed on the website of Karvy

2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार इसे कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

- जिन सदस्यों को ईमेल द्वारा डाक मतपत्र सूचना प्राप्त हुई है और जो भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र फॉर्म के जरिए अपना मतदान करना चाहते हैं वे बैंक की वेबसाइट www.idbi.com से डाक मतपत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली वित्तीय जिला, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032 - [टेलीफोन नंबर (040) 67162222), टोल फ्री नंबर 1800-345-4001, फ़ैक्स नंबर (040) 23420814, ई-मेल: einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लि., ईक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग, 22 वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 - (022-66552779/3336/3062/2711/3147) को लिख कर प्राप्त कर सकते हैं.
- संकल्प, यदि आवश्यक बहुमत द्वारा पारित हुए तो, वे पूर्णतः भरे हुए डाक मतपत्र या ई वोटिंग के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख अर्थात् 07 नवंबर 2018 को पारित हुए समझे जाएंगे.
- ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं पद्धति निम्नानुसार होगी:

[अ] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या कार्वी की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास विद्यमान यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.

i. ई-मेल खोलें तथा अपनी क्लाईंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' को खोलें. उपर्युक्त पीडीएफ फ़ाइल में ई- वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.
ii. यूआरएल https://evoting.karvy.com/ को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.
iii. Shareholder "Login" पर क्लिक करें.
iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. "Login" पर क्लिक करें.
v. 'Password change' मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/ अक्षरों या इनसे युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.

at https://evoting.karvy.com in terms of Rule 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.

- Members, who have received the Postal Ballot Notice by email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.idbi.com or by writing to Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank, located at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 [Tel.No.(040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No.(040) 23420814, E-mail : einward.ris@karvy.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022- 66552779 /3336 /3062/2711/3147).
- The resolutions, if approved by the requisite majority shall be deemed to have been passed on November 07, 2018, i.e., the last date specified for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting.
- The process and manner of e-voting shall be as follows:

[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of Karvy and who do not have their existing user id and password.

i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf ' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.
ii. Launch internet browser by typing the URL: https://evoting.karvy.com
iii. Click on Shareholder "Login"
iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.
v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. 'e-Voting' का होम पृष्ठ खुलेगा. "e-Voting"- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सेलेक्ट करें.

viii. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि **09 अक्तूबर 2018 को (सुबह 9 बजे भारतीय समय अनुसार) शुरू होगी और 07 नवंबर 2018 को (शाम 5 बजे भारतीय समय के अनुसार) समाप्त होगी**.

ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर Confirm पर क्लिक करें.

x. पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा.

xi. यदि आपने कारोबार की मद(दों) पर एक बार मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xii. संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@karvy.com को भेजें.

[आ] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या कार्वी की ई-वोटिंग सेवा के लिए पहले से ही पंजीकृत है.

(i) यूआरएल https://evoting.karvy.com को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

(ii) Shareholder-Login पर क्लिक करें
अपनी यूजर आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड डालें . (यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हों तो https:/evoting.karvy.com पर जाकर "Forgot User Details/ Password" विकल्प का प्रयोग करते हुए आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं.)

(iii) Login पर क्लिक करें

(iv) e-Voting का होम पेज प्रदर्शित होग "e-Voting"- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

(v) कारोबार की मद(दों) के पक्ष में या विपक्ष में अपना मत डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के E-Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें. (कृपया नोट करें कि एक बार मत डालने के बाद उसे संशोधित नहीं किया जा सकता). ईवीईएन के लिए, संकल्प पर

vi. Home page of "e-Voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.

viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from **October 09, 2018 (9 a.m. IST) and ends on November 07, 2018 (5 p.m. IST).**

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xi. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

[B] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of Karvy.

i. Launch internet browser by typing URL: https://evoting.karvy.com

ii. Click on Shareholder - Login
Enter your User ID and existing password (*If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on https://evoting.karvy.com)*

iii. Click Login

iv. Home page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles

v. Select E-Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited for casting your vote in favour or against the Items of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified). For an EVEN, you can log-in any number of times on e-voting platform of Karvy till you have voted on the resolutions or till the end date

वोट किए जाने तक या वोटिंग अवधि की अंतिम तिथि, अर्थात् **07 नवंबर 2018 को शाम 5 बजे (भारतीय समय के अनुसार),** जो भी पहले हो, की समाप्ति तक आप कार्वी के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं. मतदान अवधि **09 अक्तूबर 2018 को (सुबह 9 बजे भारतीय समय के अनुसार) शुरू होगी और 07 नवंबर 2018 को (शाम 5 बजे भारतीय समय के अनुसार) समाप्त होगी**.

(vi) 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं .

(vii) उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, **"Submit"** पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर "**Confirm**" पर क्लिक करें.

(viii) यदि आपने संकल्प पर एक बार मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(ix) संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@karvy.com को भेजें.

कृपया नोट करें कि:

- डाक मत पत्र अथवा ई वोटिंग प्लेटफॉर्म के जरिये मतदान करने वाले सदस्यों के लिए मतों के अधिकार **विनिर्दिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट)** अर्थात **28 सितंबर 2018** की तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forgot Password' के विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से 'e-Voting' के लिए किया जा सकता है जिनमें आप सदस्य हैं .
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे पूर्णतः गोपनीय रखें.
- सदस्यगण कृपया नोट करें कि ई-वोटिंग सुविधा 07 नवंबर 2018 की शाम 5.00 बजे (भारतीय समय के अनुसार) ब्लॉक कर दी जाएगी.

of voting period, i.e., up to **5 p.m. (IST) of November 07, 2018**, whichever is earlier. Voting period commences on and from **October 09, 2018 (9 a.m. IST) and ends on November 07, 2018 (5 p.m. IST).**

vi. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens.

vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on **"Submit"** and also **"Confirm"** when prompted.

viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

ix. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at **scrutinizer@snaco.net**with a copy marked to **evoting@karvy.com**

Please note that:

- The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the **cut-off date of September 28, 2018** for Members voting by Postal Ballot Form or on e-voting platform.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolution placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that the e-voting facility shall be blocked forthwith on November 07, 2018 at 5 p.m. (IST).

सूचना का उपाबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के निबंधनों के अनुसार डाक मतपत्र सूचना में दिए गए विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम ("**एलआईसी**") ने दिनांक 16 जुलाई 2018 के अपने पत्र द्वारा शेयरों के अधिमानी आबंटन/ खुले प्रस्ताव के माध्यम से प्रवर्तक के रूप में आईडीबीआई बैंक में 51% की नियंत्रक शेयरधारिता का अधिग्रहण करने हेतु अभिरुचि व्यक्त की थी. निदेशक मंडल ने एलआईसी के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद इस मामले में भारत सरकार का निर्णय प्राप्त करने का निर्णय लिया. इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों में अपेक्षित प्रकटन किए गए. भारत सरकार ने दिनांक 6 अगस्त 2018 के अपने पत्र द्वारा (i) आईडीबीआई बैंक लि. में भारत सरकार की शेयरधारिता में कमी लाते हुए भारत सरकार की शेयरधारिता को 50% से नीचे लाने, (ii) एलआईसी द्वारा इक्विटी के अधिमानी आबंटन/ खुले प्रस्ताव के जरिए प्रवर्तक के रूप में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में नियंत्रक शेयरधारिता का अधिग्रहण करने, और (iii) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में भारत सरकार के प्रबंधकीय नियंत्रण को छोड़ने हेतु अपनी अनापत्ति सूचित की है. एलआईसी ने भी दिनांक 27 सितंबर 2018 के अपने पत्र द्वारा अपने निदेशक मंडल का अनुमोदन सूचित किया है कि एलआईसी शेयरों के अधिमानी निर्गम/ खुले प्रस्ताव के जरिए निर्गम के पश्चात् अभिदत्त चुकता पूंजी के 51% तक इक्विटी में आईडीबीआई बैंक लि. में प्रवर्तक के रूप में नियंत्रक शेयरधारिता अधिग्रहित करते हुए अभिदान कर सकता है. निदेशक मंडल ने 04 अक्तूबर 2018 को आयोजित बैठक में बैंक के सदस्यों की सहमति की शर्त के अधीन एलआईसी को शेयरों के अधिमानी आबंटन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है. तदनुसार, सेबी (शेयरों का पर्याप्त मात्रा में अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 **("अधिग्रहण विनियम")** की शर्तों के अनुसार एलआईसी ने अधिग्रहण विनियम **("खुले प्रस्ताव")** के विनियम 3(1) और 4 के अधीन खुले प्रस्ताव के लिए सार्वजनिक घोषणा की. इसके अतिरिक्त एलआईसी इतनी संख्या में आईडीबीआई बैंक के शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है कि यह सुनिश्चित हो जाए कि प्रस्तावित अधिमानी आबंटन और खुले प्रस्ताव के बाद, एलआईसी बैंक के कुल चुकता इक्विटी शेयरों का 51% हिस्सा नियंत्रित और धारित कर सकेगा.

ANNEXURE TO THE NOTICE

1. Explanatory Statement in respect of Special Business under Item No.1 of the Notice in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013

Life Insurance Corporation of India ("**LIC**") had, vide its letter dated July 16, 2018, expressed interest to acquire 51% controlling stake in IDBI Bank as Promoter through preferential allotment of shares/ open offer. Board, after considering LIC's proposal decided to seek GoI's decision in the matter. Necessary disclosure was made to the Stock Exchanges in this regard. GoI, vide its letter dated August 6, 2018, conveyed their no objection to (i) reduction in Government of India's shareholding in IDBI Bank Limited below 50% by dilution of Government's shareholding, (ii) acquisition of controlling stake by LIC as promoter in IDBI Bank Limited through preferential allotment/ open offer of equity, and (iii) relinquishment of management control by the Government in IDBI Bank Limited. LIC also, vide letter dated September 27, 2018 have conveyed approval of their Board of Directors that LIC may subscribe to equity capital of IDBI Bank Ltd through Preferential issue /Open Offer upto 51% of post issue subscribed paid up capital, as an acquisition of controlling stake as promoter in IDBI Bank Ltd. The Board of Directors at its meeting held on October 4, 2018, approved the preferential allotment of shares to LIC subject to consent of the members of the Bank. Accordingly, in terms of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("**Takeover Regulations**"), LIC made a public announcement for an open offer under Regulations 3(1) and 4 of the Takeover Regulations ("**Open Offer**"). Further, LIC proposes to acquire such number of equity shares of IDBI Bank which will ensure that post the successful completion of the proposed preferential allotment and the Open Offer, LIC will acquire control and hold 51% of the total paid-up equity shares of the Bank.

Accordingly, it is proposed to obtain shareholders' approval under section 62(1)(c) of the Companies Act,

तदनुसार, एलआईसी को अधिमानी आबंटन आधार पर 08 अक्तूबर 2018 की संगत तारीख के संदर्भ में गणना किए गए मूल्य पर प्रत्येक 10 रु. मूल्य के इतनी संख्या में इक्विटी शेयरों को सृजित करने, पेशकश करने, निर्गम करने और आबंटित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(ग) के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है, जिससे आबंटन के बाद बैंक की निर्गम पश्चात् प्रदत्त पूंजी (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) में एलआईसी की शेयरधारिता 51% तक हो जाए. सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार शेयरों के अधिमानी आबंटन को शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प की तारीख से 15 दिनों के अंदर अथवा भारत सरकार और/ अथवा अन्य सांविधिक विनियामकीय प्राधिकारी, यदि कोई हो, से अनुमोदन/ अनुमति प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर, जो भी बाद में हो, पूरा करना आवश्यक है. संदेह के निराकरण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित अधिमानी आबंटन तथा खुले प्रस्ताव की प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद एलआईसी की शेयरधारिता बैंक की निर्गम पश्चात् चुकता इक्विटी पूंजी का 51% होगी.

इसके अलावा, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 की धारा 73 के अंतर्गत अधिमानी आबंटन से संबंधित विशेष प्रकटनों का उल्लेख शेयरधारकों को भेजे जा रहे नोटिस के साथ उपाबद्ध व्याख्यात्मक विवरण में किया जाना है जो कि शेयरधारकों की जानकारी के लिए यहाँ नीचे दिए जा रहे हैं:

अधिमानी निर्गम का उद्देश्य	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की पूंजी पर्याप्तता की गणना करते हुए इसमें वृद्धि करना तथा एलआईसी द्वारा बैंक में प्रवर्तक के रूप में 51% की नियंत्रक धारिता का अधिग्रहण करने की अनुमति देना.
ऑफर में अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों, निदेशकों या निर्गमकर्ता के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का प्रस्ताव	ऑफर में अभिदान करने के लिए वर्तमान प्रवर्तकों, निदेशकों या निर्गमकर्ता के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का कोई प्रस्ताव नहीं है. तथापि, एलआईसी के दिनांक 27 सितंबर 2018 के पत्र के अनुसार उनके पक्ष में इक्विटी के अधिमानी निर्गम के संबंध में एलआईसी को इस प्रकार शेयर

2013 to create, offer, issue and allot such number of equity shares of ₹10/- each, at a price to be calculated with reference to the Relevant Date of October 08, 2018, to LIC such that the shareholding of LIC post allotment aggregates upto 51% of the Post Issue Paid-up Capital of the Bank(inclusive of premium amount, if any) on Preferential Allotment basis. In terms of the provisions of chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Preferential Allotment of shares is required to be completed within a period of 15 days from the date of passing of resolution by the shareholders or within 15 days of getting approval/permission of GoI and/ or other statutory/ regulatory authority, if any, whichever is later. For avoidance of doubt, the shareholding of LIC, post the successful completion of the proposed preferential allotment and the Open Offer, will be 51% of the Post Issue paid-up equity capital of the Bank.

Moreover, specific disclosures relating to the Preferential Allotment as prescribed under Regulation 73 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 to be made to the shareholders in the Explanatory Statement annexed to the Shareholders' notice are submitted here-in-below for information of the shareholders:

The objects of the Preferential Issue	To augment the capital adequacy of the Bank computed in terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and to allow acquisition of 51% controlling stake as Promoter in the Bank by LIC.
The proposal of the Promoters, Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer	There is no proposal of the current Promoter, Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer. However, it is proposed to issue the shares to LIC such that the shareholding of LIC post allotment aggregates upto 51% of Post Issue Paid-up capital of the Bank in terms of LIC's letter dated September 27, 2018 towards

	जारी करने का प्रस्ताव है जिससे कि आबंटन के बाद एलआईसी की शेयरधारिता बैंक की पूर्व प्रदत्त चुकता पूंजी के कुल 51% तक हो जाएगी. एलआईसी की शेयरधारिता के बारे में किसी भी संदेह से बचने के लिए प्रस्तावित खुले प्रस्ताव और अधिमानी आबंटन के सफलतापूर्वक पूरा होने पर बैंक की इक्विटी चुकता पूंजी के इश्यू होने के बाद यह 51% हो जाएगी.
सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के अनुसार सुसंगत तारीख व परिकलित मूल्य	सुसंगत तारीख 08 अक्तूबर 2018 है (अर्थात् विशेष संकल्प पारित करने की तारीख 07 नवंबर 2018 से 30 दिन पहले). इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किया जाएगा, मूल्य की गणना 08 अक्तूबर 2018 को प्रासंगिक तिथि के संदर्भ में की जाएगी और समाचार पत्र विज्ञापन के माध्यम से शेयरधारकों को सूचित किया जाएगा और 04 अक्तूबर 2018 को समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से और वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा.
अधिमानी निर्गम से पहले और बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का स्वरूप.	**<u>अधिमानी निर्गम से पहले आईडीबीआई बैंक लि. की शेयरधारिता का स्वरूप</u>** (4 अक्तूबर 2018 के अनुसार) : | | **<u>शेयरों की सं.</u>** | **<u>प्रतिशत</u>** | भारत सरकार 3594165335 79.50 एलआईसी 673620000 14.89 अन्य 253301338 5.61 **कुल 4521086673 <u>100</u>** **<u>अधिमानी निर्गम के बाद आईडीबीआई बैंक लि. की शेयरधारिता का स्वरूप</u>** आईडीबीआई बैंक लिमिटेड से संबन्धित अधिमानी निर्गम पश्चात् शेयरधारिता स्वरूप के

	Preferential Issue of equity in their favour. For avoidance of doubt the shareholding of LIC, post the successful completion of the proposed preferential allotment and the Open Offer, will be 51% of the Post Issue paid-up equity capital of the Bank.
Relevant date and the price computed as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009	The Relevant Date is October 08, 2018 (i.e. the date 30 days before the date of passing of proposed special resolution on November 07, 2018). In view of the fact that Special Resolution will be passed through Postal Ballot, the price will be calculated with reference to the Relevant Date of October 08, 2018 and will be informed to the Shareholders through Newspaper Advertisement and by displaying on website as the same will be determined after the issue of Postal Ballot Notice on October 04, 2018.
The shareholding pattern of the Issuer before and after the Preferential Issue.	**<u>Pre Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd.</u>** (as on October 04, 2018): <u>No.of Shares</u> <u>% age</u> GoI 3594165335 79.50 LIC 673620000 14.89 Others 253301338 5.61 **Total 4521086673 <u>100.00</u>** **<u>Post Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd.</u>** The Post Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd. will be determined after calculation of price with reference to the Relevant

	बारे में निर्णय सुसंगत तारीख 08 अक्तूबर 2018 के अनुसार मूल्य के परिकलन के बाद किया जाएगा तथा शेयरधारकों को इसकी सूचना समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से और वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी और इसका निर्धारण 04 अक्तूबर 2018 को डाक मतपत्र सूचना जारी करने के बाद किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, उक्त निर्गम के बाद शेयरधारिता स्वरूप एलआईसी द्वारा की जा रही खुले प्रस्ताव की प्रक्रिया को पूरा करने पर आधारित होगा.
समय-सीमा जिसके भीतर अधिमानी निर्गम का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.	अधिमानी निर्गम का कार्य निम्न के बाद 15 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा (i) प्रस्तावित विशेष संकल्प जारी करने की तारीख अर्थात् 07 नवंबर 2018 अथवा (ii) अधिमानी निर्गम के संबंध में भारत सरकार तथा/ किसी अन्य सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर.
प्रस्तावित आंबटितियों की पहचान, उनके द्वारा धारित की जाने वाली निर्गम पश्चात् अधिमानी धारिता का प्रतिशत और अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता के नियंत्रण में बदलाव, यदि कोई हो.	शेयर भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित करने का प्रस्ताव है. अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप नियंत्रण में बदलाव आएगा क्योंकि एलआईसी नियंत्रण प्राप्त करेगा और आईडीबीआई बैंक का प्रवर्तक बन जाएगा तथा आईडीबीआई बैंक की कुल चुकता पूंजी इक्विटी शेयरों का 51% अपने पास धारित करेगा.
इस आशय का वचन कि निर्गमकर्ता जहां आवश्यक होगा वहाँ इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्यों की पुनर्गणना करेगा.	लागू नहीं, क्योंकि बैंक के शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में छब्बीस सप्ताह से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं.
इस आशय का वचन कि यदि मूल्य की पुनर्गणना के आधार पर राशि का भुगतान इन विनियमों में	लागू नहीं, क्योंकि बैंक के शेयर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में छब्बीस सप्ताह से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं.

	Date of October 08, 2018, and will be informed to the Shareholders through Newspaper Advertisement and by displaying on the website as the same will be determined after issue of Postal Ballot Notice on October 04, 2018. Further, the said Post Issue Shareholding pattern will be subject to completion of ongoing Open Offer Process being carried out by LIC.
The time within which the Preferential Issue shall be completed	The Preferential Allotment shall be completed within 15 days from the later of (i) date of passing of the proposed Special Resolution, i.e., November 07, 2018 or (ii) receipt of approval/ permission, if any, from GoI and/ or any other statutory/ regulatory authority in respect of Preferential Issue of Equity.
The identity of the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the Issuer consequent to the preferential issue.	The shares are proposed to be allotted to Life Insurance Corporation of India. Consequent to the Preferential issue, there will be change in control as LIC will acquire control and become the Promoter of IDBI Bank and shall hold 51% of the total paid-up equity shares of IDBI Bank.
An undertaking that the Issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these regulations where it is required to do so.	Not Applicable, as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than twenty six weeks.

निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को आबंटितियों द्वारा इनकी राशि का भुगतान करने तक लॉक्ड-इन रखा जाएगा	
सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र की एक प्रति शेयरधारकों की महासभा में रखना जिसमें यह प्रमाणित करने पर विचार किया जाएगा कि प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम इन विनियमों में की गई अपेक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है.	अधिमान्य निर्गम के लिए मूल्य की गणना सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 की धारा 76(1) के तहत सुसंगत तारीख 08 अक्तूबर 2018 के अनुसार की जाएगी (अर्थात् डाक मतपत्र के अंतर्गत मतदान पूरा होने से 30 दिन पहले अर्थात् 07 नवंबर 2018, जो कि विशेष संकल्प पारित किए जाने की तारीख भी मानी गई है) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 की धारा 73(2) के अंतर्गत अपेक्षित लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र सुसंगत तारीख 08 अक्तूबर 2018 के बाद जारी किया जाएगा तथा यह डाक मतपत्र के तहत वोटिंग की प्रक्रिया पूरी करने की तारीख तक किसी भी कार्यदिवस को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच बैंक के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा. लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक की वेबसाइट www.idbi.com और कार्वी की वेबसाइट - https://evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
निर्गम के लिए प्रतिफल	उक्त इक्विटी शेयर भारतीय जीवन बीमा निगम से नकद राशि की प्राप्ति पर जारी किये जाएंगे.

निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके उपर्युक्त प्रयोजन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की मांग की जाती है.

बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा के सिवाय उपर्युक्त विशेष संकल्प को

An undertaking that if the amount payable on account of the re-computation of the price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottees.	Not Applicable, as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than twenty six weeks.
To place a copy of the certificate of statutory auditors before the general meeting of the shareholders, considering the proposed preferential issue certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations.	The price for Preferential Issue will be computed under Regulation 76(1) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 with reference to the Relevant Date of October 08, 2018 (i.e. the date 30 days prior to the date of completion of voting under Postal Ballot, i.e., November 07, 2018 also deemed to be the date of passing the proposed Special Resolution) In view of the above, Auditors' Certificate required under Regulation 73(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 will be issued after the Relevant Date of October 08, 2018 and will be made available for inspection at the Registered Office of the Bank between 11 a.m. and 3 p.m. on any working day upto the date of completion of voting under Postal Ballot. The Auditor's Certificate will also be displayed on the website of the Bank – www.idbi.com and website of Karvy- https://evoting.karvy.com
Consideration for the Issue	The equity shares will be issued against the consideration in cash to be received from Life Insurance Corporation of India.

The shareholders' approval is sought by Board of Directors for the above purpose by passing a Special Resolution in this regard.

पारित करने में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, वित्तीय या अन्य रूप में, संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के निबंधनों के अनुसार सूचना की मद संख्या 2 के अंतर्गत विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

प्रस्तावित संकल्प का उद्देश्य कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13, 14 और 61 के साथ पठित संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 6 तथा उसमें बनाए गए नियमों के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु.8000 करोड़ से बढ़ाकर रु.15000 करोड़ (रु.10/- प्रत्येक के 1500 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित) रुपये करना तथा इसके परिणामस्वरूप एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक के प्रवर्तक के रूप में 51% हिस्से के अधिग्रहण की अनुमति देने तथा भविष्य में बैंक की चुकता शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश रखने हेतु इस सूचना की मद संख्या 2 में उल्लिखित प्रस्तावित विशेष संकल्प में दर्शाये संस्था के बहिर्नियम के खंड V तथा संस्था अंतर्नियम के खंड 3 में संशोधन करना है.

बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा के सिवाय उपर्युक्त विशेष संकल्प को पारित करने में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, वित्तीय या अन्य रूप में, संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के निबंधनों के अनुसार सूचना की मद संख्या 3 के अंतर्गत विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने दिनांक 6 अगस्त 2018 के अपने पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ एलआईसी द्वारा प्रवर्तक के रूप में आईडीबीआई बैंक के नियंत्रक शेयरों का अधिग्रहण करने तथा आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार के प्रबंध नियंत्रण को छोड़ने संबंधी अनापत्ति के बारे में सूचित किया था. एलआईसी ने भी दिनांक 27 सितंबर 2018 के पत्र में अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के बारे में यह सूचित किया था कि आईडीबीआई बैंक में प्रवर्तक के रूप में चुकता पूंजी के अभिदान के निर्गम के बाद 51% नियंत्रक शेयरों का अधिग्रहण अधिमानी निर्गम/खुले प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relative is, directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of aforesaid Special Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

2. Explanatory Statement in respect of the Special Business under Item No.2 of the Notice in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013

The Proposed Resolution aims at according shareholders' approval to the increase in Authorised Share Capital of the Bank from ₹ 8000 crore to ₹ 15000 crore (divided into 1500 crore equity shares of ₹10/- each) in terms of Article 6 of the Articles of Association read with Sections 13, 14 and 61 of the Companies Act, 2013 and Rules made therein and to the consequential amendment in Clause V of the Memorandum of Association and Clause 3 of the Articles of Association of the Bank as indicated in the proposed Special Resolution contained under Item No.2 of the Notice, in order to allow acquisition of 51% Controlling Stake as Promoter in IDBI Bank by LIC and to give sufficient room for increase in the paid-up share capital of the Bank in future.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relative is, directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of aforesaid Special Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

3. Explanatory Statement in respect of the Special Business under Item No.3 of the Notice in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013

Government of India (GOI), vide their letter dated August 6, 2018 conveyed their no objection to interalia, acquisition of Controlling Stake by LIC as Promoter in IDBI Bank and relinquishment of Management Control by GoI in IDBI Bank. LIC also, vide their letter dated September 27, 2018 conveyed approval of their Board of Directors that LIC may subscribe to equity capital of IDBI Bank Ltd through Preferential issue /Open Offer upto 51% of post issue subscribed paid up capital, as an acquisition of controlling stake as promoter in IDBI Bank Ltd.

The Board of Directors at its meeting held on October 4, 2018, approved the preferential allotment of shares to LIC subject to consent of the members of the Bank.

निदेशक मंडल ने 04 अक्तूबर 2018 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के सदस्यों की सहमति के अधीन एलआईसी को शेयरों के अधिमानी आबंटन के लिए अनुमोदन दिया था. तद्नुसार एलआईसी ने अधिग्रहण विनियमावली के विनियमन 3(1) और 4 के तहत खुले प्रस्ताव के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की. इसके अलावा एलआईसी का आईडीबीआई बैंक में उतनी संख्या में इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण का प्रस्ताव है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एलआईसी प्रस्तावित अधिमानी आबंटन और खुले प्रस्ताव के सफल समापन के बाद बैंक की कुल इक्विटी शेयरों की चुकता पूंजी की 51% धारिता और नियंत्रण प्राप्त कर सकेगा.

इसके फलस्वरूप तथा भारत सरकार के प्रबंध नियंत्रण को छोड़ने संबंधी उपर्युक्त अनुमोदन के अनुपालन हेतु यह प्रस्तावित किया गया है कि एलआईसी को उसके द्वारा बैंक के 51% नियंत्रक शेयरों का अधिग्रहण पूरा होने की प्रभावी तारीख से बैंक के प्रवर्तक के रूप में पुनः वर्गीकृत करने के लिए एक सामान्य संकल्प पारित किया जाए.

बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा के सिवाय उपर्युक्त साधारण संकल्प पारित करने में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, वित्तीय या अन्य रूप में, संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

4 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के निबंधनों के अनुसार सूचना की मद संख्या 4 के अंतर्गत विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने 6 अगस्त 2018 के अपने पत्र में (i) आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी को 50% से कम करके भारत सरकार की हिस्सेदारी को घटाने (ii) आईडीबीआई बैंक में एलआईसी द्वारा अधिमानी आबंटन/ इक्विटी की खुले प्रस्ताव द्वारा नियंत्रक शेयरों का अधिग्रहण करने तथा (iii) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में सरकार के प्रबंध नियंत्रण को हटाने संबंधी अपनी अनापत्ति के बारे में सूचित किया है. एलआईसी ने भी दिनांक 27 सितंबर 2018 के पत्र में अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन के बारे में यह सूचित किया था कि आईडीबीआई बैंक के प्रवर्तक के रूप में चुकता पूंजी के अभिदान के निर्गम के बाद 51% नियंत्रक

Accordingly, LIC made a public announcement for the Open Offer under Regulation 3(1) and 4 of the Takeover Regulations. Further, LIC proposes to acquire such number of equity shares of IDBI Bank which will ensure that post the successful completion of the proposed preferential allotment and the Open Offer, LIC will acquire control and hold 51% of the total paid-up equity shares of the Bank.

Consequently, and in order to comply with GOI's aforesaid approval for relinquishment of management control, it is proposed to pass the Ordinary Resolution to reclassify LIC as promoter of the Bank with effect from the date of completion of acquisition of 51% Controlling stake in the Bank by LIC.

No Director or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid Ordinary Resolution.

4. Explanatory Statement in respect of the Special Business under Item No.4 of the Notice in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013

Government of India (GOI), vide their letter dated August 6, 2018, have conveyed their no objection to (i) reduction in Government of India's shareholding in IDBI Bank Limited to below 50% by dilution of Government's shareholding, (ii) acquisition of controlling stake by LIC as promoter in IDBI Bank Limited through preferential allotment/ open offer of equity, and (iii) relinquishment of management control by the Government in IDBI Bank Limited. LIC also, vide their letter dated September 27, 2018 have conveyed approval of their Board of Directors that LIC may subscribe to equity capital of IDBI Bank Ltd through Preferential issue /Open Offer upto 51% of post issue subscribed paid up capital, as an acquisition of controlling stake as promoter in IDBI Bank Ltd.

The Board of Directors at its meeting held on October 04, 2018, approved the preferential allotment of shares to LIC subject to consent of the members of the Bank. Accordingly, LIC made a public announcement for the Open Offer under Regulation 3(1) and 4 of the Takeover Regulations. Further, LIC proposes to acquire such number of equity shares of IDBI Bank which will

शेयरों का अधिग्रहण अधिमानी निर्गम/ खुले प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा.

निदेशक मंडल ने 04 अक्तूबर 2018 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के सदस्यों की सहमति के अधीन एलआईसी को शेयरों के अधिमानी आबंटन के लिए अनुमोदन दिया था. तद्नुसार एलआईसी ने अधिग्रहण विनियमावली के विनियमन 3(1) और 4 के तहत खुले प्रस्ताव के लिए एक सार्वजनिक घोषणा की. इसके अलावा एलआईसी का आईडीबीआई बैंक में उतनी संख्या में इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण का प्रस्ताव है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एलआईसी प्रस्तावित अधिमानी आबंटन और खुले प्रस्ताव के सफल समापन के बाद बैंक की कुल इक्विटी शेयरों की चुकता पूंजी की 51% धारिता और नियंत्रण प्राप्त कर सकेगा.

इसके फलस्वरूप और भारत सरकार के प्रबंध नियंत्रण को छोड़ने तथा बैंक के प्रवर्तक के रूप में एलआईसी के पुन: वर्गीकरण को प्रभावी बनाने संबंधी उपर्युक्त अनुमोदन के अनुसार यह प्रस्ताव किया जाता है कि एलआईसी द्वारा बैंक के 51% नियंत्रक शेयरों का अधिग्रहण पूरा होने की प्रभावी तारीख से विशेष संकल्प के तहत प्रस्तावित आईडीबीआई बैंक के संस्था के अंतर्नियमों में संशोधन हेतु एक विशेष संकल्प पारित किया जाए. प्रस्तावित परिवर्तन आरबीआई से अनुमोदन की प्राप्ति और आरबीआई द्वारा इसका अनुमोदन देने के दौरान निर्देशित आगे के आशोधन, यदि कोई हो, के अधीन होगा.

बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा के सिवाय उपर्युक्त विशेष संकल्प को पारित करने में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, वित्तीय या अन्य रूप में, संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, **(पवन अग्रवाल)**
मुंबई- 400005. **कंपनी सचिव**
दिनांक : 4 अक्तूबर 2018

ensure that post the successful completion of the proposed preferential allotment and the Open Offer, LIC will acquire control and hold 51% of the total paid-up equity shares of the Bank.

Consequently, and in accordance with GOI's aforesaid approval for relinquishment of management control and to give effect to re-classification of LIC as Promoter of the Bank, it is proposed to pass the Special Resolution to amend Articles of Association of IDBI Bank as proposed under the Special Resolution with effect from the date of completion of acquisition of 51% Controlling stake in the Bank by LIC. The proposed alterations would be subject to receipt of RBI approval and in accordance with further modifications, if any, directed by RBI while conveying their approval.

No Director or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid Special Resolution.

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, **(Pawan Agrawal)**
Mumbai - 400 005 **Company Secretary**
Dated: October 04, 2018